



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022022-233756  
CG-DL-E-25022022-233756

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160]  
No. 160]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 25, 2022/फाल्गुन 6, 1943  
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 25, 2022/PHALGUNA 6, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 163(अ).—केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित टक्कर मार कर भागना मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2021 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 526 (अ), तारीख 2 अगस्त, 2021 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, ऐसी तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, तीस दिवस की अवधि की समाप्ति से पूर्व, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे ;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनसाधारण को 03 अगस्त, 2021 को उपलब्ध करवाई गई थीं ;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है ;

अतः, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 161 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और का.आ. सं. 440(अ), तारीख 12 जून, 1989 द्वारा जारी तोषण स्कीम, 1989 को उन बातों के

सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:--

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—** (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम टक्कर मार कर भागना मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2022 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2022 से प्रवृत्त होगी।

**2. परिभाषाएं—** इस स्कीम में, जब तब संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

- (क) “अधिनियम” से मोटर यान अधिनियम, 1988(1988 का 59) अभिप्रेत है;
- (ख) “बीमाकृत यानों के लेखे” से निधि का ऐसा भाग अभिप्रेत है जो बीमाकृत यानों द्वारा मोटर द्वारा कारित मोटर यान दुर्घटना के पीड़ितों के धारा 162 के अधीन विरचित स्कीम के अनुसार नगदी रहित उपचार के लिए उपयोग में लिया जाता है;
- (ग) “बीमा रहित यानों और टक्कर मार कर भागना मोटर यान दुर्घटना के लेखे” से निधि का ऐसा भाग अभिप्रेत है जो बीमा रहित यानों द्वारा कारित मोटर यान दुर्घटना और टक्कर मार कर भागना मोटर यान दुर्घटना के पीड़ितों के धारा 162 के अधीन विरचित स्कीम के अनुसार नगदी रहित उपचार के लिए उपयोग में लिया जाता है;
- (घ) “नगदी रहित उपचार” से सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को धारा 162 के अधीन विरचित स्कीम के अनुसार प्रदत्त उपचार अभिप्रेत है;
- (ङ) “दावा जांच अधिकारी” से उपखंड अधिकारी, तहसीलदार या किसी राज्य के प्रत्येक राजस्व जिले की तालुका के राजस्व उपखंड का भारसाधक कोई अन्य अधिकारी या उपखंड अधिकारी अथवा तहसीलदार की पंक्ति से अन्यून का ऐसा अन्य अधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अभिप्रेत है;
- (च) “दावा निपटान आयुक्त” से जिला मजिस्ट्रेट, उपायुक्त, कलेक्टर या राज्य के राजस्व जिले का भारसाधक कोई अन्य अधिकारी जो इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए, अभिप्रेत है;
- (छ) “जिला स्तरीय समिति” से पैरा 11 के अधीन स्थापित समिति अभिप्रेत है;
- (ज) “प्ररूप” से इस स्कीम से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
- (झ) “टक्कर मार कर भागना प्रतिकर लेखा” से मोटर यान दुर्घटना निधि का ऐसा भाग अभिप्रेत है, जो टक्कर मार कर भागना दुर्घटना पीड़ितों के प्रतिकर के संदाय के लिए तथा टक्कर मार कर भागना दुर्घटना पीड़ितों के नगदी रहित उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए, बीमा रहित यानों या टक्कर मारकर भागना मोटर यान दुर्घटना, यदि कोई हो के लेखे उपयोग में लिया जाता है;
- (ञ) “मोटर यान दुर्घटना निधि” से धारा 164ख के अधीन यथा गठित कोई निधि अभिप्रेत है और उसमें बीमाकृत यान के लेखे, अबीमाकृत यान के लेखे या टक्कर मार कर भागना मोटर यान दुर्घटना और टक्कर मार कर भागना प्रतिकर लेखे सम्मिलित हैं;
- (ट) “धारा” से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (ठ) “स्थायी समिति” से पैरा 3 के अधीन स्थापित समिति अभिप्रेत है।

**3. स्थायी समिति.--** (1) एक स्थायी समिति होगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:--

- (क) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी—अध्यक्ष;
- (ख) वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी—सदस्य;
- (ग) वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी—सदस्य;
- (घ) सचिव, साधारण बीमा परिषद्—सदस्य;
- (ङ) तत्समय भारत में साधारण बीमा कारबार करने वाली बीमा कंपनियों (चक्रानुक्रम आधार पर तीन कंपनियों) का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक—सदस्य
- (च) केन्द्रीय सरकार द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर नामनिर्दिष्ट तीन राज्यों में से प्रत्येक का एक परिवहन आयुक्त—सदस्य;
- (छ) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि—सदस्य;
- (ज) निदेशक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय—सदस्य;
- (झ) साधारण बीमा परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी—सदस्य सचिव;
- (ञ) कोई अन्य प्रतिनिधि जैसा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए—सदस्य ।

(2) किसी पद के आधार पर सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति सदस्य नहीं रहेगा जब वह उस पद को धारण नहीं करता है ।

**4. स्थायी समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक—**किसी सदस्य को उसे अनुज्ञेय दरों पर अनुज्ञात यात्रा और दैनिक भत्ते के सिवाय कोई पारिश्रमिक संदत्त नहीं किया जाएगा और भत्ते उस स्रोत से संदत्त किए जाएंगे, जिससे वह वेतन आहरित करता है ।

**5. स्थायी समिति की शक्तियां और कृत्य—**स्थायी समिति—

- (क) इस स्कीम के कार्यकरण की कालिक रूप से समीक्षा करेगी जिसे अंतर्गत पैरा 24 में निर्दिष्ट साधारण बीमा परिषद् रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करना और उसका कार्यान्वयन तथा सुधार कदमों के लिए निदेश, जहां कहीं आवश्यक हो, भी सम्मिलित है;
- (ख) जिला स्तरीय समिति की त्रैमासिक रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों पर विचार करेगी और जब कभी मांगा जाए तो मार्गदर्शन या निदेश प्रदान करेगी, जिसके अंतर्गत इस स्कीम के कार्यान्वयन में कपट की रोकथाम भी है;
- (ग) टक्कर मार कर भागना प्रतिकर लेखा के दक्ष संवितरण और कार्यकरण, विशेषकर कपट की रोकथाम के संबंध में, समर्थ बनाने के लिए इस स्कीम का संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें करेगी;
- (घ) स्थायी समिति और जिला स्तरीय समिति द्वारा कारबार के संचालन के लिए प्रक्रिया उपबंधित करेगी ।

**6. स्थायी समिति की बैठकें—**स्थायी समिति ऐसे समय, तारीख और ऐसे स्थानों पर बैठकें करेगी जो इस संबंध में समय-समय पर अध्यक्ष नियत करे:

परंतु समिति वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगी ।

**7. गणपूर्ति—** पांच से अनधिक सदस्यों से गणपूर्ति होगी:

परंतु यदि किसी बैठक में गणपूर्ति नहीं है, तो अध्यक्ष उपस्थित सदस्यों को सूचित करते हुए और अन्य सदस्यों को सूचना भेजते हुए किचाहे गणपूर्ति हो या नहीं वह स्थगित बैठक के कारबार के निपटान का प्रस्ताव करता है, सात से अनधिकदिन के पश्चात् की तारीख के लिए बैठक स्थगित कर सकेगा और वह उसके पश्चात् ऐसी स्थगित बैठक के कारबार का निपटान कर सकेगा ।

**8. विनिश्चय.**—प्रत्येक मामला उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा अवधारित किया जाएगा और मतों की बराबरी की दशा में अध्यक्ष मतदान करेगा ।

**9. बैठक की सूचना.**—(1) सदस्य सचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को ऐसी बैठक से कम से कम सात दिन पहले प्रत्येक ऐसी बैठक के लिए नियत समय, तारीख और स्थान की सूचना दी जाएगी और प्रत्येक सदस्य को उक्त बैठक में निपटाए जाने वाले कारबार की सूची दी जाएगी:

परंतु जहां अध्यक्ष द्वारा अति-आवश्यक बैठक बुलाई जाती है तो ऐसी सूचना आवश्यक नहीं होगी, तथापि, सदस्य सचिव प्रत्येक सदस्य को सूचना भेजेगा ।

(2) बैठक में किसी ऐसे कारबार पर अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना विचार-विमर्श नहीं किया जाएगा जो कारबार की सूची में नहीं है ।

**10. बैठकों के कार्यवृत्त.**—स्थायी समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां सभी सदस्यों को परिचालित की जाएंगी और उसके पश्चात् एक कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित की जाएगी जो इलेक्ट्रानिक प्ररूप सहित स्थायी अभिलेख के रूप में रखी जाएगी तथा प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के अभिलेख अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे ।

**11. जिला स्तरीय समिति.**—(1) प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--

(क) दावा निपटान आयुक्त—अध्यक्ष;

(ख) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दावा जांच अधिकारी—सदस्य;

(ग) जिले का पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय)—सदस्य;

(घ) जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी—सदस्य;

(ङ) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट मोटर यान विभाग का कोई अन्य अधिकारी—सदस्य;

(च) अध्यक्ष द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट सड़क सुरक्षा पहलुओं से संसक्त लोक या स्वैच्छाया संगठन का कोई सदस्य—सदस्य;

(छ) साधारण बीमा परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी-सदस्य सचिव ।

(2) सदस्य के रूप में किसी पद के द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति सदस्य नहीं बना रहेगा जब वह उस पद पर नहीं बना रहेगा ।

(3) पैरा 1 के उप पैरा (घ), उप पैरा (ङ) और उप पैरा (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी ।

**12. जिला स्तरीय समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक.**—किसी सदस्य को उसे उसके संबंधित विभाग में अनुज्ञेय दरों पर अनुज्ञात यात्रा और दैनिक भत्ते के सिवाय कोई पारिश्रमिक संदत्त नहीं किया जाएगा और भत्ते उस स्रोत से संदत्त किए जाएंगे, जिससे वह वेतन आहरित करता है और पैरा 11 के उप पैरा (1) के खंड (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य को साधारण बीमा परिषद् द्वारा ऐसी दरों पर जो साधारण बीमा परिषद् द्वारा विनिश्चित की जाए, यात्रा भत्ता या महंगाई भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

**13. जिला स्तरीय समिति की शक्तियां और कर्तव्य.**—जिला स्तरीय समिति इस स्कीम के जिला स्तर पर कार्यान्वयन से संसक्त सभी कृत्यों का निष्पादन करेगी और वह निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन भी करेगी.—

(क) इस स्कीम के संबद्ध जिले में कार्यान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन करना और जहां कहीं अपेक्षित हों, सुधारात्मक कदम उठाना;

- (ख) स्थायी समिति को इलेक्ट्रानिक प्ररूप सहित तिमाही आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना जिसमें अन्य बातों के साथ प्राप्त किए गए, दिए गए, लंबित दावा आवेदन और लंबित होने के कारणों के बारे में माह-वार आंकड़ों की जानकारी सम्मिलित है;
- (ग) जिले में अन्य प्राधिकारियों के साथ निकट संपर्क बनाए रखना जिससे इस स्कीम का पर्याप्त प्रचार होना सुनिश्चित किया जा सके।
- (घ) जहां कहीं मांगा जाए, संबद्ध प्राधिकारियों और दावेदारों को मार्गदर्शन या स्पष्टीकरण प्रदान करना;
- (ङ) इस स्कीम के अधीन दावेदारों को उपलब्ध अधिकारों और प्रतिकर के उपबंधों के बारे में जागरूकता लाना।

**14 जिला स्तरीयसमिति की बैठकें.**—जिला स्तरीय समिति, संबद्ध जिले में ऐसे समय, तारीख और ऐसे स्थानों पर बैठकें करेगी जो इस संबंध में समय-समय पर अध्यक्ष नियत करे:

परंतु समिति तीन मास में में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

**15. गणपूर्ति.**— तीन से अनधिक सदस्यों से गणपूर्ति होगी:

**16. विनिश्चय.**—प्रत्येक मामला उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा अवधारित किया जाएगा और मतों की बराबरी की दशा में अध्यक्ष मतदान करेगा।

**17. बैठक की सूचना.**—(1) सदस्य-सचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को ऐसी बैठक से कम से कम सात दिन पहले प्रत्येक ऐसी बैठक के लिए नियत समय, तारीख और स्थान की सूचना दी जाएगी और प्रत्येक सदस्य को उक्त बैठक में निपटाए जाने वाले कारबार की सूची दी जाएगी:

परंतु जहां अध्यक्ष द्वारा अति-आवश्यक बैठक बुलाई जाती है तो ऐसी सूचना आवश्यक नहीं होगी, तथापि, सदस्य-सचिव प्रत्येक सदस्य को सूचना भेजेगा।

(2) बैठक में किसी ऐसे कारबार पर अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना विचार-विमर्श नहीं किया जाएगा जो कारबार की सूची में नहीं है।

**18. बैठकों के कार्यवृत्त.**—जिला स्तरीय समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां सभी सदस्यों को परिचालित की जाएंगी और उसके पश्चात् एक कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित की जाएगी जो इलेक्ट्रानिक प्ररूप सहित स्थायी अभिलेख के रूप में रखी जाएगी तथा प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के अभिलेख अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

**19. बीमा कंपनी के विषय में नामनिर्देशन.**—साधारण बीमा परिषद् धारा 161 और इस स्कीम के अधीन दावों के निपटान के लिए प्रत्येक जिले में अपने किसी अधिकारी को बीमा कंपनी में नामनिर्दिष्ट करेगी।

**20. दावा आवेदन करने की रीति.**—(1) आवेदक इस स्कीम के अधीन प्रतिकर के लिए धारा 162 के अधीन विनिर्मित नगदी रहित उपचार के लिए स्कीम के अनुसार उपचार प्रदान करने वाले अस्पताल द्वारा, यदि कोई हो किए गए दावे की प्रति और प्ररूप 4 में वचनबंध तथा प्ररूप 1 में उल्लिखित ऐसे अन्य दस्तावेजों के साथ जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा भी है, प्ररूप 1 में इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से उस उपखंड या तालुका जिसमें दुर्घटना घटित हुई है, दावा जांच अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(2) जहां दावा जांच अधिकारी आवेदक द्वारा दिए गए आधारों को स्वीकार नहीं करता है, वहां वह सकारण आदेश अभिलिखित करेगा और आवेदक को दावा आवेदन स्वीकार नहीं किए जाने के कारणों को संसूचित करेगा।

**21. दावा जांच अधिकारियों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया.**—(1) दावा जांच अधिकारी दावा आवेदन की प्राप्ति पर संबद्ध प्राधिकारियों से तुरंत यथास्थिति प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट (एफएआर), पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करेगा और टक्कर मारकर भागना मोटर यान दुर्घटना से उद्भूत दावों के संबंध में जांच करेगा।

(2) दावा जांच अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि—

(क) जहां एक से अधिक दावाकर्ता हैं वहां यह विनिश्चित करे कि कौन सही दावाकर्ता है;

(ख) अपनी सिफारिशों के साथ प्ररूप 2 में एक रिपोर्ट और दावाकर्ता से प्राप्त प्ररूपों और दस्तावेजों को यथाशीघ्र और किसी मामले में आवेदन प्राप्ति की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर दावा निपटान आयुक्त को प्रस्तुत करेगा।

(3) जहां दावा निपटान आयुक्त किसी रिपोर्ट को पैरा 22 के उप पैरा (3) के अधीन अतिरिक्त जांच के लिए दावा जांच अधिकारी को लौटा देता है, वहां दावा जांच अधिकारी ऐसी अतिरिक्त जांच करेगा जो आवश्यक हो और उसकी रिपोर्ट 15 दिन के भीतर दावा निपटान आयुक्त को अंतिम आदेश के लिए पुनः प्रस्तुत करेगा।

**22. दावों की मंजूरी.—**(1) उप पैरा (2) के अध्यक्षीन रहते हुए दावा निपटान आयुक्त दावा जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथा संभव ऐसी रिपोर्ट प्राप्ति की तारीख से 15 दिन से अनधिक की अवधि के भीतर दावा मंजूर करेगा और प्ररूप 3 में मंजूरी आदेश और दावाकर्ता से प्राप्त प्ररूपों और दस्तावेजों को निम्नलिखित को एक प्रति देते हुए यथास्थिति केन्द्रीय मोटर यान (मोटर यान दुर्घटना निधि) नियम, 2022 की धारा 4 के अधीन गठित न्यास या साधारण बीमा परिषद् को संसूचित करेगा:

(क) दावा जांच अधिकारी;

(ख) दावाकर्ता;

(ग) संबद्ध मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण;

(घ) संबद्ध परिवहन आयुक्त;

(ङ) साधारण बीमा परिषद् मुख्यालय।

(2) दावा निपटान आयुक्त धारा 162 के अधीन विरचित स्कीम के अनुसार उस अस्पताल जिसने नगदी रहित उपचार प्रदान किया है, द्वारा किए गए दावे को घटाएगा और शेष रकम मंजूर करेगा:

परंतु पीड़ित के नगदी रहित उपचार पर खर्च की गई रकम टक्कर मारकर भागना प्रतिकर खाते से गैर बीमाकृत यान या टक्कर मारकर भागना मोटर यान दुर्घटना के लिए मोटर यान दुर्घटना निधि में अंतरित किया जाएगा:

परंतु यह और कि यदि उस अस्पताल द्वारा जिसने धारा 162 के अधीन विरचित स्कीम के अनुसार नगदी रहित उपचार प्रदान किया है किया गया दावा धारा 161 के अधीन नियत प्रतिकर राशि से अधिक है, तो यथास्थिति दावाकर्ता या मृतक के विधिक प्रतिनिधि को कोई प्रतिकर संदत्त नहीं किया जाएगा।

(3) जहां दावा निपटान आयुक्त को दावा जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में कोई संशय है, वहां वह उन विनिर्दिष्ट बिंदुओं को उपदर्शित करते हुए, जिनपर जांच की जानी है, रिपोर्ट को अतिरिक्त जांच के लिए दावा जांच अधिकारी को लौटा देगा।

**23. प्रतिकर का संदाय.—**(1) यदि दुर्घटना पीड़ित की मृत्यु से दावा उद्भूत होता है तो पैरा 22 के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर दावा जांच अधिकारी द्वारा विनिश्चित मृतक के विधिक प्रतिनिधियों को दिया जाएगा।

(2) यदि दावा घोर उपहति से उद्भूत होता है, तो पैरा 22 के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर उपहित व्यक्ति को दिया जाएगा।

(3) पैरा 22 के उप पैरा (1) में निर्दिष्ट न्यास की ओर से साधारण बीमा परिषद् (जीआईसी) प्ररूप 3 में मंजूरी आदेश और दावाकर्ता के प्ररूपों और दस्तावेजों की प्राप्ति पर तुरंत यथास्थिति दावाकर्ता या मृतक के विधिक प्रतिनिधि द्वारा प्रदत्त बैंक खाते में ई-संदाय करेगा और साथ ही साथ सभी संबद्ध प्राधिकारियों को जिन्हें मंजूरी आदेश की प्रति पृष्ठांकित की जाती है, सूचना भेजेगा।

(4) उप-पैरा (3) के अधीन संदाय मंजूरी आदेश की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर किया जाएगा :

परंतु संदाय उन कारणों से जो दावा निपटान आयुक्त द्वारा अभिलिखित किए जाएं, तीस दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर किया जा सकेगा।

(5) उप पैरा (3) के अधीन प्रतिकर के संवितरण पर दावा जांच अधिकारी अधिनिर्णीत दावे और संदाय की तारीख का इलैक्ट्रानिक प्ररूप से अभिलेख रखेगा, जिसे पैरा 13 के खंड (ख) के अनुसार तिमाही रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।

**24. वार्षिक रिपोर्ट.**—साधारण बीमा परिषद् इस स्कीम के कार्यकरण पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे केन्द्रीय सरकार को एक प्रति देकर स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

[सं. आर टी-11036/64/2019-एमवीएल (भाग 2)]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

### प्ररूप 1

#### [पैरा 20(1)]

#### टक्कर मार भागना प्रतिकर निधि से प्रतिकर के लिए आवेदन हेतु प्ररूप

मैं....., पुत्र\*/पुत्री\*/विधवा\*श्री.....

निवासी..... मोटर यान दुर्घटना में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होते हुए कारित गंभीर क्षतियों के लिए प्रतिकर प्रदान किए जाने हेतु आवेदन करती/करता हूं। मुझे कारित गंभीर क्षतियों की बाबत आवश्यक विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:--

मैं....., पुत्र\*/पुत्री\*/विधवा\*श्री.....

निवासी..... श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पुत्री/विधवा

..... जो..... पर..... को मोटर यान

दुर्घटना में मर गई/गया है या उसे क्षति कारित हुई है, उसकी मृत्यु/कारित क्षति के लिए प्रतिकर प्रदान करने हेतु विधिक प्रतिनिधित्व के रूप में आवेदन करती/करता हूं। दुर्घटना के संबंध में विशिष्टियां और अन्य सूचना नीचे दी गई हैं:--

1. क्षतिग्रस्त/मृत व्यक्ति का नाम और पिता का नाम (विवाहित महिला या विधवा की दशा में पति का नाम):
2. क्षतिग्रस्त/मृत व्यक्ति का पता:
3. आयु..... जन्म तारीख.....
4. क्षतिग्रस्त/मृत व्यक्ति का लिंग:
5. घोर उपहति की दशा में दावाकर्ता की आधार संख्या या विधिक प्रतिनिधि की आधार संख्या:
6. क्षतिग्रस्त व्यक्ति/मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि के बैंक खाते की पासबुक की प्रति:
7. दुर्घटना का स्थान, तारीख और समय:
8. क्षतिग्रस्त/मृत व्यक्ति का व्यवसाय:
9. कारित क्षतियों की प्रकृति:
10. उस पुलिस थाने का नाम और पता जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना हुई थी या रजिस्ट्रीकृत की गई थी:
11. उस अस्पताल/चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी का नाम और पता जिसने क्षतिग्रस्त/मृत व्यक्ति की देखभाल की :
12. दावाकर्ता/दावाकर्ताओं का नाम और पता:
13. मृतक के साथ नातेदारी:
14. उस अस्पताल द्वारा दिए गए बिल की प्रति, जिसने अधिनियम की धारा 105 के अधीन विरचित स्कीम के अनुसार नगदी रहित उपचार प्रदान किया है:
15. कोई अन्य सूचना जो दावे के निपटान के लिए आवश्यक या सहयोगी समझी जाए।

मैं शपथ लेता हूं और प्रतिज्ञान करता हूं कि उपरोक्त वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

दावाकर्ता के हस्ताक्षर

\*जो लागू न हो उसे काट दें।

## प्ररूप 2

[पैरा 21(2)(ख)]

## दावा जांच अधिकारी द्वारा दावा निपटान आयुक्त को प्रस्तुत की जाने वाली दावा जांच रिपोर्ट

1. मृत/क्षतिग्रस्त व्यक्ति का नाम और पता:
2. दुर्घटना का स्थान, तारीख और समय:
3. उस पुलिस थाने की विशिष्टियां जिसमें दुर्घटना रजिस्ट्रीकृत की गई थी:
4. उस अस्पताल/चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी की विशिष्टियां जिसने मृत/क्षतिग्रस्त व्यक्ति की परीक्षा की थी:
5. समन और परीक्षित किए गए व्यक्ति की विशिष्टियां:
6. क्या टक्कर मारकर भागना मोटर दुर्घटना द्वारा मृत्यु/क्षति के तथ्य स्थापित हुए हैं या नहीं और उस निष्कर्ष तक पहुंचने के कारण:
7. प्रतिकर के संदाय के लिए पात्र दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) का नाम और पता:
8. पीड़ित द्वारा नगदी रहित उपचार पर खर्च की गई रकम:
9. दावाकर्ता को संदाय के लिए सिफारिश की गई प्रतिकर की रकम (एक से अधिक दावाकर्ता होने की दशा में वह रकम जिसके लिए प्रत्येक दावाकर्ता पात्र है और उसके कारण विनिर्दिष्ट किए जाएं):
10. कोई अन्य सूचना या अभिलेख जो दावे के निपटान के लिए सुसंगत या उपयोगी है:

हस्ताक्षर,

दावा जांच अधिकारी का पदनाम

मुद्रा:

तारीख:

## प्ररूप 3

[पैरा 22(1)]

क्रम संख्या.....

दावा निपटान आयुक्त

जिला.....

## आदेश

मैं, टक्कर मारकर भागना मोटर यान दुर्घटना जो.....(स्थान का नाम) पर तारीख..... को हुई थी, के परिणामस्वरूप (मृतक का नाम) की मृत्यु/.....(क्षतिग्रस्त व्यक्ति का नाम) को हुई घोर उपहति के संबंध में मृतक के विधिक प्रतिनिधि के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी..... या .....(क्षतिग्रस्त व्यक्ति का नाम) को प्रतिकर के रूप में ..... रु. (.....रुपये मात्र) मंजूर करता हूँ।

दावा निपटान आयुक्त

प्रति:-

1. न्यास और साधारण बीमा परिसर;
2. दावाकर्ता;
3. मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण;
4. दावा जांच अधिकारी;
5. सदस्य-सचिव, स्थायी समिति।



## प्ररूप 4

[पैरा 20 (1) देखें]

## दावे के प्रतिदाय के लिए वचनबंध

(मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 163 के अधीन)

मैं/हम .....मृतक/क्षतिग्रस्त व्यक्ति.....के विधिक प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के रूप में वचनबंध करती/करता/करते हैं कि मैं/हम यदि मोटर यान अधिनियम 1988 या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किन्हीं उपबंधों के अधीन या अन्यथा .....की मृत्यु या घोर उपहति की बाबत प्रतिकर के दावे के बजाय रकम अथवा उसके समाधान के माध्यम से कोई अन्य प्रतिकर या रकम प्रदान किए जाने की दशा में मोटर यान दुर्घटना निधि की टक्कर मार कर भागना प्रतिकर निधि से अधिनियम की धारा 161 के अधीन मुझे/हमें प्रदान किए जाने वाले प्रतिकर की रकम का प्रतिदाय करूंगी/करूंगा/करेंगे।

मृतक/क्षतिग्रस्त व्यक्ति के  
विधिक प्रतिनिधि के हस्ताक्षर।”।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2022

**G.S.R. 163(E).**—Whereas the draft scheme for Compensation to victims of Hit and Run Motor Accidents, 2021 was published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 526 (E), dated the 2nd August, 2021, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 3rd August, 2021;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft scheme have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 161 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and in supersession of the Solatium Scheme, 1989 issued vide number S.O. 440 (E), dated the 12<sup>th</sup> June, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following scheme, namely: —

**1. Short title and commencement.** — (1) This scheme may be called the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022.

(2) It shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> April, 2022.

**2. Definitions.** — In this scheme, unless the context otherwise requires, —

- (a) “Act” means the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);
- (b) “Account for Insured Vehicles” means such part of the Fund that is utilised for the cashless treatment of victims of motor accidents caused by insured vehicles in accordance with the scheme framed under section 162;
- (c) “Account for Uninsured Vehicles or Hit and Run Motor Accident” means such part of the Fund that is utilised for the cashless treatment of victims of motor accidents caused by uninsured vehicles or hit and run accidents in accordance with the scheme framed under section 162.

- (d) “cashless treatment” means treatment provided to the victims of road accidents in accordance with the scheme framed under section 162;
- (e) “Claims Enquiry Officer” means the Sub-Divisional Officer, Tehsildar, or any other officer in charge of the revenue sub-division of a Taluka in each revenue district of a State or such other officer not below the rank of Sub-Divisional Officer or a Tehsildar, as may be specified by the State Government;
- (f) “Claims Settlement Commissioner” means the District Magistrate, the Deputy Commissioner, the Collector or any other officer-in-charge of a revenue district in a State appointed as such by the State Government;
- (g) “District-level Committee” means a Committee set up under paragraph 11;
- (h) “Form” means a Form annexed to this scheme;
- (i) “Hit and Run Compensation Account” means such part of the Motor Vehicle Accident Fund that is utilised for the payment of compensation for hit and run accident victims and reimbursement of cashless treatment expenditure of hit and run motor accident victims, to the Account for Uninsured Vehicles or Hit and Run Motor Accident, if any.
- (j) “Motor Vehicle Accident Fund” means a Fund as constituted under section 164B, and shall include the Account for Insured Vehicles, Account for Uninsured Vehicles or Hit and Run Motor Accident, and the Hit and Run Compensation Account.
- (k) “Section” means section of the Act;
- (l) “Standing Committee” means Committee set up under paragraph 3.

**3. Standing Committee.** — (1) There shall be a Standing Committee consisting of the following members, namely:—

- (a) an officer not below the rank of Joint Secretary, Ministry of Road Transport and Highways  
.....Chairperson;
- (b) an officer not below the rank of Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance.....Member;
- (c) an officer not below the rank of Joint Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance.....Member;
- (d) Secretary, General Insurance Council .....Member;
- (e) Chairman and Managing Director (CMD) of Insurance Companies for the time being carrying on general insurance business in India (three companies on rotation basis) .... Members;
- (f) Transport Commissioners, one each from three States, nominated by the Central Government by rotation  
.....Members;
- (g) Representative as nominated by Principal Chief Controller of Accounts, Ministry of Road Transport and Highways;
- (h) Director, Ministry of Road Transport and Highways..... Member;
- (i) an officer nominated by the General Insurance Council .....Member - Secretary;
- (j) any representative, as nominated by Chairperson. ....—Member.

(2) The person nominated as a member by virtue of an office shall cease to be a member when he ceases to hold that office.

**4. Remuneration of members of Standing Committee.** — A member shall not be paid any remuneration, except travelling and daily allowance at the rates admissible to him and be paid from the source he draws salary.

**5. Powers and functions of Standing Committee.** — The Standing Committee shall-

- (a) periodically review the working of this scheme, including consideration of the General Insurance Council Report referred to in paragraph 24, and its implementation and direct corrective steps, wherever necessary;
- (b) consider the issues raised in the quarterly reports of the District Level Committee and provide guidance or directions, including on prevention of fraud in implementation of this scheme, wherever called for;
- (c) make recommendations to the Central Government for amendment of this scheme to enable the efficient disbursement and working of the Hit and Run Compensation Account, specifically with respect to prevention of fraud;

(d) provide procedure for conduct of business by the Standing Committee and District Level Committee.

**6. Meeting of Standing Committee.** —The Standing Committee shall meet at such time, date and at such a place as the Chairperson may, from time to time, appoint in this behalf:

Provided that the Committee shall meet at least once a year.

**7. Quorum.** — Not less than five members shall form a quorum:

Provided that if at any meeting there is no quorum, the Chairperson may adjourn the meeting to a date not less than seven days later, informing the members present and sending notices to other members that he proposes to dispose off the business at the adjourned meeting, whether there is a quorum or not, and he may thereupon dispose off the business at such adjourned meeting.

**8. Decision.** —Every matter shall be determined by a majority of votes of the members present and voting and, in case of equality of votes, the Chairperson shall have a casting vote.

**9. Notice of meeting.** — (1) Notice shall be given by the Member-Secretary to every member of the time, date and place fixed for each such meeting at least seven days before such meeting and each member shall be furnished with a list of business to be disposed off at the said meeting:

Provided that when an urgent meeting is called by the Chairperson, such notice shall not be necessary, however, Member-Secretary shall send an intimation to each member.

(2) No business which is not on the list of business shall be considered at a meeting without the permission of the Chairperson.

**10. Minutes of meeting.** — The proceedings of each meeting of the Standing Committee shall be circulated to all members and thereafter recorded in a minutes book which shall be kept as a permanent record, including in electronic form and the record of the proceedings of each meeting shall be signed by the Chairperson.

**11. District Level Committee.** — (1) There shall be a District Level Committee in each District consisting of the following members, namely: —

- (a) Claims Settlement Commissioner .....Chairperson;
- (b) Claims Enquiry Officer, nominated by the State Government .....Member;
- (c) Superintendent of Police or Deputy Superintendent of Police (Head Quarter) of the District .....Member;
- (d) Chief Medical Officer of the District .....Member;
- (e) the Regional Transport Officer or any other officer of Motor Vehicles Department as nominated by the State Government .....Member;
- (f) any member of the public or a voluntary organisation connected with road safety aspects as nominated by the Chairperson.....Member;
- (g) an officer nominated by the General Insurance Council .....Member-Secretary.

(2) A person nominated as a member by virtue of an office shall cease to be member when he ceases to hold that office.

(3) The term of office of the members nominated under clauses (d), (e) and (f) of sub-paragraph (1) shall be determined by the State Government.

**12. Remuneration of member of District Level Committee.** —A member shall not be paid any remuneration except travelling and daily allowance at the rate admissible to him in his respective Department and be paid from the source he draws salary and a member nominated under clause (f) of sub- paragraph (1) of paragraph 11 shall be paid travelling allowance or dearness allowance by General Insurance Council, at the rate as may be decided by the General Insurance Council.

**13. Powers and functions of District Level Committee.** — The District Level Committee shall undertake all functions connected with the implementation of this scheme at the District Level, and it shall also perform the following functions, namely: -

- (a) to evaluate the progress of implementation of this scheme in the concerned District and take corrective steps, wherever necessary;
- (b) to submit a report on quarterly basis to the Standing Committee, including in electronic form and the report shall, inter alia, include month-wise statistics about the claim applications received, awarded, pending and reasons for pendency;

- (c) to keep close liaison with other authorities in the district so as to ensure that this scheme gets adequate publicity;
- (d) to provide guidance or clarifications to concerned authorities and claimants, wherever called for; and
- (e) to raise awareness about the rights available to claimants and the provision of compensation under this scheme.

**14. Meeting of District Level Committee.** — The District Level Committee shall meet at such time, date and place, within the concerned District itself, as the Chairperson may, from time to time, appoint in this behalf:

Provided that the Committee shall meet at least once in each quarter.

**15. Quorum.** — Not less than three members shall form a quorum.

**16. Decision.** — Every matter shall be determined by a majority of votes of the members present and voting, and in case of equality of votes, Chairperson shall have a casting vote.

**17. Notice of meeting.** — (1) Notice shall be given by Member-Secretary to each member of the time, date and place fixed for the meeting at least seven days before such a meeting and each member shall be furnished with a list of business to be disposed off at the said meeting:

Provided that when an urgent meeting is called by the Chairperson, such notice shall not be necessary, however, Member-Secretary shall send an intimation to each member.

(2) No business which is not on the list of business shall be considered at a meeting without the permission of the Chairperson.

**18. Minutes of meeting.** — The proceedings of each meeting of the District Level Committee shall be circulated to all members and thereafter recorded in a minutes book which shall be kept as a permanent record, including in electronic format and the record of the proceedings of each meeting shall be signed by Chairperson.

**19. Nomination of insurance company.** — General Insurance Council shall nominate any of its officer of an insurance company in each District for settlement of claims under section 161 and this scheme.

**20. Procedure for making claim application.** — (1) The applicant shall submit an application seeking compensation under this scheme in Form I, including through electronic means, along with a copy of claim raised by the hospital providing the treatment, if any, as per Scheme for Cashless Treatment formulated under section 162, and the undertaking in Form IV, and such other documents mentioned in Form I, including through electronic means, to the Claims Enquiry Officer of the Sub-Division or Taluka in which the accident took place.

(2) Where the Claims Enquiry Officer does not accept the grounds advanced by the applicant he shall record speaking order and communicate to the applicant reasons for not accepting the claim application.

**21. Procedure to be followed by Claims Enquiry Officer.** — (1) On receipt of claims application, the Claims Enquiry Officer shall immediately obtain a copy of the First Accident Report (FAR), post mortem report, as the case may be, from the concerned authorities and hold enquiry in respect of claims arising out of the hit and run motor accident.

(2) It shall be the duty of the Claims Enquiry Officer—

- (a) to decide as to who are the rightful claimants, where there is more than one claimant;
- (b) to submit to the Claims Settlement Commissioner, as early as possible, and in any case within a period of one month from the date of receipt of application, a report in Form II, along with his own recommendation, and the Forms and documents received from the claimant.

(3) Where the Claims Settlement Commissioner has returned any report to the Claims Enquiry Officer for further enquiry under sub- paragraph (3) of paragraph 22, the Claims Enquiry Officer shall make such additional enquiries as may be necessary and re-submit the report to the Claims Settlement Commissioner within fifteen days for final order.

**22. Sanctioning of claims.** — (1) Subject to sub- paragraph (2), on receipt of report of the Claims Enquiry Officer, the Claims Settlement Commissioner shall sanction the claim, as far as possible, within a period not exceeding fifteen days from the date of receipt of such report and communicate the sanction order in Form III, and the Forms and documents received from the claimant, to the Trust constituted under rule 4 of the Central Motor Vehicles (Motor Vehicle Accident Fund) Rules, 2022 or the General Insurance Council, as the case may be, with a copy to the following: —

- (a) the Claims Enquiry Officer;
- (b) the claimant;

- (c) the concerned Motor Accident Claim Tribunal;
- (d) the concerned Transport Commissioner;
- (e) General Insurance Council headquarters.

(2) Claims Settlement Commissioner shall deduct the claim raised by the hospital which has provided cashless treatment as per the scheme framed under section 162 and sanction the balance amount:

Provided that the amount spent on cashless treatment of the victim shall be transferred from the Hit and Run Compensation Account to the Account for Uninsured Vehicles or Hit and Run Motor Accident of the Motor Vehicle Accident Fund:

Provided further that if the claim raised by the hospital which has provided cashless treatment as per the scheme framed under section 162, is greater than the fixed sum compensation under section 161, no compensation shall be paid to the claimant or legal representative of the deceased, whichever the case may be.

(3) Where the Claims Settlement Commissioner has any doubt in respect of the report submitted by the Claims Enquiry Officer, he shall return the report to the Claims Enquiry Officer for further enquiry, indicating the specific points on which the enquiry is to be made.

**23. Payment of compensation.** — (1) In the case of claims arising out of death of an accident victim, the compensation awarded under paragraph 22 shall be made to the legal representatives of the deceased decided by the Claims Enquiry Officer.

(2) In the case of claims arising out of grievous hurt, the compensation awarded under paragraph 22 shall be made to the person injured.

(3) On behalf of the Trust referred to in sub- paragraph (1) of paragraph 22, General Insurance Council (GIC), immediately on receipt of the sanction order in Form III, and the Forms and documents from the claimant, shall make the e-payment to the bank account as provided by the claimant or legal representative of the deceased, as the case may be, and simultaneously send intimation to all the concerned authorities to whom the copy of the sanction order is endorsed.

(4) The payment under sub- paragraph (3) shall be made within fifteen days from the date of receipt of the sanction order:

Provided that the payment may be made within a further period of thirty days, for reasons to be recorded in writing to the Claims Settlement Commissioner.

(5) Upon disbursement of the compensation under sub- paragraph (3), the Claims Enquiry Officer shall maintain a record, including in electronic form, of the claim awarded and the date of payment made, which shall be used to populate the quarterly report under clause (b) of paragraph 13.

**24. Annual report.** — The General Insurance Council shall prepare an annual report on the working of this scheme and submit the same before the Standing Committee, with a copy to the Central Government.

[F. No. RT-11036/64/2019-MVL (part-2)]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

## FORM I

### [Paragraph 20 (1)]

#### FORM OF APPLICATION FOR COMPENSATION FROM HIT AND RUN COMPENSATION FUND

I, .....son\*/daughter\*/widow\* of Shri ..... residing at ..... having been grievously injured in motor vehicle accident hereby apply for grant of compensation for the grievous injuries sustained. Necessary particulars in respect of the injury sustained by me are given below: —

I, .....son of/daughter of/widow of\* Shri ..... residing at ..... hereby apply as a legal representative for the grant of compensation on account of death/injuries sustained by Shri/Shrimati/Kumari .....son of/daughter of/widow\* of Shri .....who died/had sustained injuries in a motor vehicle accident on ..... at ..... Particulars in respect of accident and other information are given below: —

1. Name and father's name of person injured / dead (husband's name in case of married woman or widow):
2. Address of the person injured/dead:

3. Age.....Date of Birth.....
4. Sex of the person injured/dead:
5. Aadhaar Number of the claimant in case of grievous hurt or Aadhaar Number of legal representative.
6. Copy of Passbook of the bank account of person injured/ legal representative of the deceased.....
7. Place, date and time of the accident:
8. Occupation of the person injured/dead:
9. Nature of injuries sustained:
10. Name and address of Police Station in whose jurisdiction accident took place or was registered:
11. Name and address of the Hospital/Medical Officer/Practitioner who attended on the injured/dead:
12. Name and address of the claimant/claimants:
13. Relationship with the deceased:
14. Copy of bill given by the Hospital which has provided cashless treatment as per Scheme framed under section 162 of the Act
15. Any other information that may be considered necessary or helpful in the disposal of the claim:

I hereby swear and affirm that all the facts noted above are true to the best of my knowledge and belief.

SIGNATURE OF THE CLAIMANT

\*Strike out whichever is not applicable.

**FORM II**  
**[Paragraph 21 (2) (b)]**

CLAIMS ENQUIRY REPORT TO BE SUBMITTED BY THE CLAIMS ENQUIRY OFFICER TO THE CLAIMS  
SETTLEMENT COMMISSIONER

1. Name and address of the person dead/injured:
2. Place, time and date of the accident:
3. Particulars of the Police Station in which the accident was registered:
4. Particulars of the Hospital/ Medical Officer/ Practitioner who examined the dead/injured:
5. Particulars of persons summoned and examined:
6. Whether the fact of death/injury by hit and run motor accident has been established or not and the reason for coming to that conclusion:
7. The name and address of claimant(s) eligible for payment of compensation:
8. Amount spent on cashless treatment of the victim.
9. The amount of compensation recommended for payment to the claimant. (In case of more than one claimant the amount each one of the claimants is eligible for, and the reasons thereof shall be specified).
10. Any other information or records relevant or useful for the settlement of the claim.

*Signature, designation  
of the Claims Enquiry Officer.*

Seal:  
Date:

**FORM III**  
**[Paragraph 22 (1)]**

Serial No.....  
Claims Settlement Commissioner  
District.....

**ORDER**

I hereby sanction Rs. .... (Rupees .....only) as compensation in respect of the death of .....(Name of deceased)/grievous hurt to.....(Name of the injured) resulting from hit and run motor accidents which took place at.....(Name of place) on.....(Date) to Shri/Shrimati/Kumari.....as legal representative of the deceased (.....) or to.....(Name of injured).

*Claims Settlement Commissioner*

**CC to: —**

1. Trust and General Insurance Council
2. The Claimant;
3. Motor Vehicles Accident Claims Tribunals;
4. Claims Enquiry Officer;
5. Member - Secretary of the Standing Committee.

**FORM IV**  
**[Paragraph 20(1)]**

**UNDERTAKING FOR REFUND OF CLAIM**  
(Under section 163 of the Motor Vehicles Act, 1988)

I/We.....as legal representative(s) of the deceased/injured.....hereby give undertaking that I/we shall refund the amount of compensation that may be awarded to me/us under section 161 of the Act, to the Hit and Run Compensation Fund of the Motor Vehicle Accident Fund in case I/we am/are awarded any other compensation or amount in lieu of or by way of satisfaction of a claim for compensation in respect of death or grievous hurt to.....under any other provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 or any other law for the time being in force or otherwise.

*Signature of the legal representative  
of the deceased/injured person.”.*